संख्या-87/2021/677/71-1-2021-जी-202/2016टी0सी0-2

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 अप्रैल, 2021

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर तथा अम्बेडकर नगर के विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/सी0एम0सी0/102, दिनॉक 25-04-2021 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/52, दिनॉक 13-04-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु ''अनुरक्षण'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर तथा अम्बेडकर नगर के विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 5,31,63,000.00 (रू0 पॉच करोड़ इक्तीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

क्रमांक	कालेज का नाम	अनुरक्षण के कार्य	प्रस्तावित धनराशि
1	मेडिकल कलेज कानपुर	विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों की मरम्मत/ ए0एम0सी0/सी0एम0सी0/कन्ज्युमेबिल्स हेतु	1,70,87,000.00
2	मेडिकल कालेज अम्बेडकर नगर	मेडलार, कम्प्यूटराइज्ड ओ0पी0डी0 इत्यदि गैर चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0 /सी0एम0सी0 हेतु	3,60,76,000.00
		योग	5,31,63,000.00

2- उपर्युक्तानुसार राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु निर्गत धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1. अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
2. उपकरणों की ए0एम0सी0 क्रय मूल्य के 03 प्रतिशत सीमा या क्रय के समय निविदा में अनमोदित दर से की जायेगी।
3. उपकरणों की ए0एम0सी0 अधिकतम 05 प्रतिशत क्रय मूल्य की सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित सी0एम0सी0 की दर से करायी जायेगी।
4. एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय करने से पूर्व दर औचित्य का निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि क्रय के समय निविदा में एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स की दरों का भी अनुमोदन किया गया है तो उसी पर क्रय किया जायेगा।
5. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु मूल निर्माता/अधिकृत विक्रेता या उसके न होने पर ई-निविदा कराकर ए0एम0सी0 03 प्रतिशत की सीमा तथा सी0एम0सी0 05 प्रतिशत की सीमा में करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनांक 23.09.2008 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
10. ए0एम0सी0 एवं सी0एम0सी0 का कान्ट्रेक्ट सुसंगत नियमों/शासनादेशों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत निमयानुसार पात्र फर्म से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उपकरणों के निरन्तर क्रियाशील रहने एवं संबंधित बजट का समय के साथ आडिट कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर एवं अम्बेडकर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर एवं अम्बेडकर नगर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर एवं अम्बेडकर नगर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।